



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58211-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट सी याचिका संख्या - 8309 वर्ष 2026

अनुपम आचार्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 5 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: गणेश मिश्रा, वरुण मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सहायक लोक अभियोजक, अरविंद कुमार गोस्वामी,

सी.एस.सी., हर्ष वर्धन गुप्ता

न्यायालय संख्या - 2

माननीय न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. यह रिट याचिका प्रतिवादियों को राधा निवास, हनुमान वाटिका, तातिया और वृंदावन रोड, तहसील और जिला मथुरा में मोबाइल टावर स्थापित न करने का आदेश देने हेतु परमादेश जारी करने के लिए दायर की गई है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि इस क्षेत्र की आबादी लगभग 3000 है और हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 11 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता टावर के निर्माण स्थल से 3 मीटर की दूरी पर रह रहा है। उन्होंने टावर के निर्माण कार्य के जारी रहने को दर्शाने के लिए अनुलग्नक संख्या 5 के रूप में एक तस्वीर भी संलग्न की है। उन्होंने दिनांक 29.01.2015 को रिट-सी संख्या 1626/2015 (छेदीलाल यादव बनाम भारत संघ और 5 अन्य) के फैसले में दिए गए एक दिशानिर्देश का हवाला देते हुए कहा है कि सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध मोबाइल टावर का निर्माण नहीं किया जा सकता है। सरकार द्वारा निर्धारित स्थान संबंधी मानदंडों को नीचे भी दिया गया है।

“स्थान

संचार टावरों का स्थान रेडियो आवृत्ति प्रणाली द्वारा निर्धारित किया जाता है और सेलुलर ऑपरेटरों को आवासीय क्षेत्रों में टावर लगाने से बचना चाहिए। स्थान का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा:

- i. टावर लगाने के लिए वन क्षेत्रों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
- ii. टावर के स्थान को दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी आवासीय क्षेत्रों से दूर खुले या सार्वजनिक क्षेत्रों में।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii. यदि टावर को आवासीय क्षेत्र में स्थापित करने से बचना संभव न हो, तो उसे आसपास के आवासीय मकानों के मालिकों की पूर्व सहमति से खुले स्थान या पार्क में स्थापित किया जाएगा।

iv. आवासीय भवन, विद्यालय और अस्पताल से 100 मीटर के दायरे में टावर का निर्माण करने की अनुमति नहीं होगी।”

3. उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवासीय भवन, विद्यालय और अस्पताल से 100 मीटर के दायरे में टावर का निर्माण अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. गोस्वामी ने जनहित याचिका संख्या 2494/2022 में इस न्यायालय के दिनांक 05.01.2023 के एक निर्णय पर भरोसा जताया है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी दिनांक 27.03.2015 के सरकारी आदेश के अनुसरण में, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है, ताकि उस क्षेत्र के निवासियों की उपरोक्त शिकायतों पर विचार किया जा सके, जहां मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान में दिनांक 11.01.2026 की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित भूखंड पर कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है, जिसे उपरोक्त रिट याचिका के साथ दायर हलफनामे के अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न किया गया है।

5. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए और पक्षों की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका को प्रवेश स्तर पर निम्नलिखित निर्देश के साथ निपटाया जा रहा है:-

(i) याचिकाकर्ता दिनांक 27.03.2015 के सरकारी आदेश के अनुसार संबंधित प्राधिकारी से आज से 10 दिनों की अवधि के भीतर संपर्क कर सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) यदि याचिकाकर्ता दिनांक 27.03.2015 के सरकारी आदेश के तहत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है, तो समिति उसकी शिकायत पर विचार करेगी और उपर्युक्त अभ्यावेदन की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर तर्कसंगत आदेश पारित करेगी।

(iii) याचिकाकर्ता की उक्त शिकायत का समाधान दिनांक 27.03.2015 के सरकारी आदेश के तहत गठित समिति द्वारा किए जाने तक, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि प्रश्नगत भूखंड पर कोई निर्माण कार्य न हो।

6. उपरोक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन) (न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन)

20 मार्च, 2026

आर.एस. तिवारी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।